राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः चि.प्र/बायोमेट्रिक/2017/ 369 दिनांकः 8/7/2017

परिपत्र

राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करनें हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जिला चिकित्सालयों/उपखण्ड चिकित्सालय/सैटेलाईन अस्पताल/टी.बी. क्लिनिक/मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय डिस्पेंसरी आदि में बायोमेट्रिक मशीन लगाये जाने का निर्णय लिया गया था, की अनुपालना में बायोमेट्रिक मशीन दिनांक 15.02.2017 से स्थापित की जा चुकी हैं। बायोमेट्रिक मशीन के संचालन एवं रख-रखाव के संबंध में निम्नानुसार गाईडलाईन जारी की जाती हैः-

1. समस्त चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत सभी चिकित्सक/कर्मचारी प्रातः एवं सायंकालीन पारी में दोनो समय अपनी ड्यूटी अनुसार आते एवं जाते समय बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे एवं पूर्व की भॉति उपस्थिति पंजिका में भी हस्ताक्षर कर उपस्थित दर्ज करेगें।
2. जिन चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सुविधायें/ट्रोमा सेन्टर उपलब्ध हैं वहां बायोमेट्रिक मशीन मुख्य द्वार की बायोमेट्रिक मशीन पृथक से स्थापित करनी होगी। जिससे आपातकालीन ड्यूटी वाले चिकित्सक/कर्मचारी को बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराने में अधिक समय ना लग सकें तथा वे जब भी ड्यूटी पर आयेंगे, जायेंगे तो उतनी ही बार बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे।
3. वे चिकित्सक/कर्मचारी जो चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन समय में ऑन कॉल कार्य करते हैं, तो वे आते व जाते समय बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे।
4. समस्त राजकीय संस्थान में कार्यरत चिकित्सक/कर्मचारियों को, जो कि ट्रेनिंग/मीटिंग/अन्य राजकीय कार्य हेतु अपने मुख्यालय पर ही संस्थान छोड कर राजकार्य से जाना हो तो बॉयोमेट्रिक मशीन में उपस्थिति दर्ज कर Movement Register में इन्द्राज करने के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे। मुख्यालय से बाहर यदि राजकार्य से जाना है, तो दूरी व समय को ध्यान में रखते हुए उस स्थिति में पूर्व संध्या में ही Movement Register में इन्द्राज कर, उपस्थिति पंजिका में टिप्पणी अंकित कर एवं प्रभारी अधिकारी को सूचित करने के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
5. समस्त राजकीय संस्थानों में कार्यरत फिल्ड स्टाफ जो अपने क्षेत्र पर भ्रमण पर जाते हैं, वे प्रातः पारी में बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे व तत्पश्चात चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के निर्देशानुसार भ्रमण पर निकलेंगे तथा Movement Register में भ्रमण से संबंधित सभी कॉलम की पूर्ति करने के पश्चात प्रस्थान करेंगे। भ्रमण पश्चात उसी दिन सांय/दूसरे दिन प्रातः भ्रमण रिपोर्ट का सम्पूर्ण ब्यौरा अपने प्रभारी अधिकारी/सुपरवाईजर को आवश्यक रूप से देंगे।
6. राजकीय संस्थान पर कार्यरत एएनएम/एमपीडब्लू प्रातः पारी में आते ही बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे तथा आवश्यक कार्य करने के पश्चात चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के निर्देशानुसार वे अपने निर्धारित मापदण्डानुसार होम विजिट, एमसीएचएन दिवस, टीकाकरण दिवस इत्यादि के लिये भ्रमण पर प्रस्थान करने से पूर्व बायोमेट्रिक मशीन में दुबारा उपस्थिति दर्ज कर एवं Movement Register में इन्द्राज कर ही प्रस्थान करेंगे। भ्रमण पश्चात उसी दिन सांय/दूसरे दिन प्रातः भ्रमण रिपोर्ट का सम्पूर्ण ब्यौरा अपने प्रभारी अधिकारी/ सुपरवाईजर को आवश्यक रूप से देंगे।
7. राज्य में प्रत्येक संभाग/जिले पर उपस्थित सभी प्रशासनिक कार्यालयों (संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन आने वाले समस्त प्रशासनिक कार्यालय एवं सहायक औषध नियंत्रक कार्यालय इत्यादि) में भी Face Reading बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाना अनिवार्य होगा।

8. राज्य में प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर भी Face Reading बायोमेट्रिक मशीन का लगाया जाना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्र के अनटाईड फन्ड से मशीन क्रय कर उपलब्ध करायेंगे।

9. बायोमेट्रिक मशीन का बेकप संबंधित चिकित्सा संस्थान प्रभारी द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में लिया जाकर इसे ईमेल से अपने उच्च अधिकारी, प्रभारी को भिजवायेंगे। (सीएचसी प्रभारी एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जोन को प्रेषित करेंगे)

10. अवकाश से संबंधित इन्द्राज अलग से बनाये गये रजिस्टर में किया जायेगा।

11. माह की प्रत्येक 16 तारीख को बायोमेट्रिक मशीन से इलेक्ट्रोनिक बेकप लेकर ईमेल से आहरण वितरण अधिकारी को उपस्थिति भिजवायी जायेगी। जिसके आधार पर ही कार्मिकों का वेतन आहरित किया जा सकेगा, साथ ही GA-91 प्रोफार्मा में भी उपस्थिति संधारित करेंगे।

12. चिकित्सा संस्थानों में स्थापित बायोमेट्रिक मशीन के रख रखाव व सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होगी एवं इस बाबत बिजली कटोती के दौरान बायोमेट्रिक मशीन को संचालित करने हेतु इनवर्टर व यूपीएस की व्यवस्था भी करनी होगी। खराब होने की दशा में मरम्मत आदि करवा कर, मशीन को चालू स्थिति में रखेंगे। बायोमेट्रिक मशीन के चोरी हो जाने की अवस्था में प्रभारी अधिकारी तत्काल सम्बधित थाने में एफआईआर दर्ज करवायेंगे।

13. उच्च अधिकारियों द्वारा चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण के दौरान उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट में बायोमेट्रिक मशीन पर भी अपनी टिप्पणी लिखना अनिवार्य होगा।

14. बॉयोमेट्रिक मशीन की मॉनिटिरिंग व सुपरविजन हेतु जिला स्तर पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) नोडल अधिकारी होंगे।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः चि.प्र./बायोमेट्रिक/2017/ 369 दिनांकः 3/7/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं उनके अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीन संचालित समस्त चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी, राजस्थान।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता हैं कि परिपत्र को सभी संबंधित को ई-मेल द्वारा भिजवाते हुयें। विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर